

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या –33/2017

आदेश दिनांक:—

12.07.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित—

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :- श्री अभि गोयल

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :-

सुना गया ।

प्रत्यर्थीगण को अपील व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम के नोटिस जारी किए जावें । योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें ।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)